

कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, टोंक

क्रमांक :- स्था./आबा./2023/563.

दिनांक:- 07/06/2023.

विज्ञप्ति

जिले में संचालित बाल विकास परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी मिनी कार्यकर्ता, के रिक्त पदों पर चयन करने हेतु आवेदन निम्न प्रकार ब्लॉकवार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.सं.	परियोजना	रिक्त पदों का विवरण मय वर्ग
1.	टोंक (शहर) cdpotonkcity1983@gmail.com	कार्यकर्ता- केंद्र सं- 13 (अनारक्षित) केंद्र संख्या -76 (अल्पसंख्यक), केन्द्र सं.-36 (अल्पसंख्यक) सहायिका- केन्द्र संख्या-57 (अल्पसंख्यक), केंद्र संख्या-62 (अनु.जाति), केन्द्र सं.-41 (अनारक्षित)
2.	टोंक (ग्रा.) tonkrural@gmail.com	कार्यकर्ता-साडागांव (अनारक्षित), खजुरिया (अनारक्षित), नाथडी (अनारक्षित), बरोनी प्रथम (अनारक्षित), सहायिका-डोडवाडी द्वितीय (अनारक्षित), साहेला प्रथम (अनारक्षित), इस्लामपुरा (अनारक्षित), पालडी (अनारक्षित), देवली (अनारक्षित), डारडातुर्की तृतीय (अल्पसंख्यक), मुमाण्डा (अनारक्षित),
3.	निवाई cdpo.newai1438@gmail.com	कार्यकर्ता- बहड़ प्रथम (अनारक्षित) न.पा.वार्ड न. -3(अनारक्षित),अलियाबाद (अनारक्षित) सहायिका-नला (अनारक्षित), किवाडा (अनारक्षित),सरसडीरामपुरा (अनारक्षित), खणदेवत प्रथम (अनारक्षित), दत्तवास द्वितीय (अनारक्षित)
4.	मालपुरा cdpomalपुरा478@gmail.com	कार्यकर्ता- सीतापुरा (अनारक्षित),बाघपुरा (अनारक्षित),लाम्याजुनारदार (अनारक्षित) सहायिका- सोड़ा तृतीय (अनारक्षित), सोडा पंचम (अनारक्षित), न.पा. पुराना वार्ड न. 22 (वार्ड नया 29, 30, 31) (अनारक्षित), चैनपुरा(अनारक्षित), कडीला (अनारक्षित)
5.	अलीगढ़ cdpoaligarh@gmail.com	कार्यकर्ता- सोप तृतीय (अनारक्षित); फूलेता प्रथम (अनारक्षित), बराणा (अनारक्षित), सहायिका- मोतीपुरा (अनारक्षित.)
6.	टोडारायसिंह cdpotodaraisingh@gmail.com	कार्यकर्ता-छाणबाससुर्या (अनारक्षित),माधोगंज (अनारक्षित), सहायिका- संवारिया तृतीय (अनारक्षित), मिनी कार्यकर्ता-नयागांव मिनी पंवालिया (अनारक्षित)
7.	देवली cdpodeoli26@gmail.com	कार्यकर्ता-थावला तृतीय (अनारक्षित), न.पा.वार्ड न.10 (अनारक्षित),

चयन हेतु पात्रता/शर्त :-

- आवेदन पत्र संबंधित सीडीपीओ कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करके संबंधित सीडीपीओ कार्यालय में अथवा संबंधित सीडीपीओ की ईमेल आईडी पर आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति स्कैन कर विज्ञप्ति प्रकाशन से 30 दिवस तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
- योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र को संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः/ई मित्र अथवा अन्य माध्यम द्वारा संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय की ई मेल आई डी पर 07.07.2023 तक शाम 5 बजे तक जमा करा सकेंगे।
- परिपत्रों के अनुसार मूल्यांकन का एक मानदण्ड निर्धारित होगा जिसे संबंधित परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट <http://wcd.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है। संलग्न दस्तावेजों के आधार पर विभागीय परिपत्रानुसार अंक निर्धारित कर वरीयता सूची से चयन किया जावेगा।

(सरोज शर्मा)
उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
टोंक

क्रमांक :- स्था./आबा./2023/564-589.

दिनांक :- 04/06/2023.

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान निदेशक महोदय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि विज्ञप्ति निदेशालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
2. श्रीमान निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति का प्रकाशन स्थानीय (एडीशन) के दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका में से किसी एक न्यूजपेपर में डीआईपीआर दरों पर प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक ।
4. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
5. उपखण्ड अधिकारी, टोंक, निवाई, मालपुरा, उनियारा, देवली, टोडारायसिंह, व पीपलू।
6. श्रीमान संयुक्त निदेशक(मोनिटरिंग), समेकित बाल विकास सेवायें राजस्थान जयपुर।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति टोंक, निवाई, मालपुरा, उनियारा, देवली, टोडारायसिंह, व पीपलू ।
8. बाल विकास परियोजना अधिकारी, टोंक शहर, टोंक ग्रामीण, निवाई, मालपुरा, देवली, अलीगढ व टोडारायसिंह को भेजकर लेख है कि विज्ञप्ति जारी होने के साथ ही आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् परिपत्रानुसार दी गई समय सीमा में ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के चयन हेतु नियमानुसार चयन कार्यवाही करवाने की सुनिश्चितता करें। अन्यथा के लिये आपकी स्वयं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी सुनिश्चित की जावेगी।


उपनिदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग
टोंक

कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, टोंक

क्रमांक :- स्था./आबा./2023/ 590

दिनांक:- 04/06/2023

विज्ञप्ति 1/2023

जिले में संचालित बाल विकास परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी मिनी कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर चयन करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मोबाईल नं.	रिक्त पदों का विवरण मय वर्ग		
			कार्यकर्ता	मिनी कार्यकर्ता	सहायिका
1.	टोंक (शहर) cdpotonkcity1983@gmail.com	9460718383	3	—	3
2.	टोंक (ग्रा.) tonkrural@gmail.com	7976069157	4	—	7
3.	निवाई cdpo.newai1438@gmail.com	7737147497	3	—	5
4.	मालपुरा cdpomalpura478@gmail.com	9413101375	3	—	5
5.	अलीगढ़ cdpoaligarh@gmail.com	8302327398	3	—	1
6.	टोडारायसिंह cdpotodaraisingh@gmail.com	8949604733	2	1	1
7.	देवली cdpodeoli26@gmail.com	8949972713	2	—	—

- ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाड़ी केंद्र के चयन हो रहा है उस राजस्व ग्राम/वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम बारहवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/सहायिका हेतु आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी एवं विशेष योग्यजन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, तलाकशूदा एवं परित्यक्ता के प्रकरण में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक की होगी।
- आवेदन फार्म बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत या विभागीय वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- योग्य अभ्यार्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र को संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः/ई मित्र अथवा अन्य माध्यम द्वारा संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय की ई मेल आई डी पर 07.07.2023 तक शाम 5 बजे तक जमा करा सकेंगे।
- आवेदन पत्र के साथ विभागीय पत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 में वर्णित दस्तावेज के अनुसार अंक भार निर्धारित कर वरियता सूची से चयन किया जावेगा।
- जिन केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/ अल्पसंख्यक वर्ग का है, को उन केन्द्रों के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यत किया जायेगा।
- इस संबंध में विस्तृत जानकारी उपनिदेशक कार्यालय/ संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय तथा वेबसाइट wcd.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

(सरोज मीणा)

उप निदेशक,

महिला एवं बाल विकास विभाग,
टोंक

राजस्थान-सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं,

2, जल पथ, गौधीनगर, जयपुर

क्रमांक: प.11(3)10/मो./आईसीडीएस/2022/4244

जयपुर, दिनांक: 12/11/2023

-: मानदेय कार्मिकों का नियुक्ति परिपत्र :-

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं शिशु पालना गृह कार्यकर्ता, का मानदेय पर चयन करने, मानदेय सेवा से पृथकीकरण एवं अवकाश आदि प्रकरणों के लिए समय-समय पर विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों के अतिक्रमण में निम्नानुसार नवीन दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।

-: मानदेय सेवा में चयन की प्रक्रिया :-

1. रिक्तियों का निर्धारण एवं विज्ञप्ति की प्रक्रिया

- (i) समस्त आंगनवाड़ी कार्मिक, जिन्हें अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर किसी वर्ष में सेवानिवृत्त किया जाना है, उन्हें 6 माह पूर्व ही सेवानिवृत्ति संबंधी आदेश की कार्यवाही बाल विकास परियोजना अधिकारी स्तर से पूर्ण कर ली जावे। इसकी सूचना संबंधित मानदेयकर्मी को देते हुये सीडीपीओ कार्यालय में चरसा करते हुये विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड की जावे।
- (ii) मानदेय सेवा कर्मियों के चयन हेतु विज्ञप्ति दिनांक को जिले में उपलब्ध रिक्ति एवं आगामी 06 माह में सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाली रिक्तियों को सम्मिलित करते हुये 6 माह पूर्व विज्ञप्ति जारी की जायेगी ताकि मानदेयकर्मी के सेवानिवृत्त होने से पूर्व चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके। विज्ञप्ति प्रतिवर्ष 2 बार जून एवं नवम्बर माह की प्रथम तिथि को संबंधित जिले के उप निदेशक स्तर से प्रकाशित करायी जावेगी।
- (iii) आंगनवाड़ीकर्मी के चयन की कार्यवाही आंगनवाड़ीकर्मी के सेवानिवृत्त होने से 03 माह पूर्व पूर्ण कर ली जाये, ताकि उनके प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध हो सके और सेवानिवृत्ति के कारण कोई आंगनवाड़ी केन्द्र मानदेयकर्मी से रिक्त न रहे।
- (iv) उप निदेशक द्वारा जिले में केन्द्रवार रिक्तियों को भरने हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारियों से प्राप्त सूचना का संकलन कर प्राप्त सूचना को सर्वाधिक प्रसार वाले किन्हीं दो दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई जायेगी, जिसमें से एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र होगा। इस विज्ञप्ति की प्रतिलिपि उप निदेशक द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विकास अधिकारी, स्थानीय नगर निकाय एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को भी भेजी जायेगी।
- (v) उप निदेशक द्वारा विज्ञप्ति की एक प्रति सम्बन्धित सभी अधीनस्थ परियोजनाओं की रिक्तियों के संकलन के साथ निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित की जाएगी।
- (vi) उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग के स्तर से आंगनवाड़ी कर्मी की ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के रिक्त पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन एक साथ किया जायेगा

2. आवेदन की प्रक्रिया--

- (i) आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाईन होगी, ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया विकसित होने तक परिशिष्ट 'अ' पर दिये गये प्रपत्र में आंगनवाड़ी कर्मी के ऑफलाइन आवेदन पत्र दो प्रतियों में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः विज्ञप्ति में अंकित अन्तिम तिथि तक जमा किये जा सकेंगे। कार्यालय में संबंधित कर्मचारी द्वारा आवेदन प्राप्ति की रसीद (आवेदन पत्र सहित समस्त सलग्न दस्तावेजों के पत्र सख्या अंकित करवाते हुये आवेदन पत्र व

समस्त दस्तावेजों पर स्वप्रमाणित करवाया जाने के साथ) आवेदनकर्ता को अवश्य देंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों का रिकार्ड रखा जाना आवश्यक होगा।

- (ii) आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन जमा करवाये जाने के पश्चात त्रुटिवश संलग्न किये जाने से वंचित किसी भी प्रकार की कमी-पूर्ती हेतु संलग्न करवाये जाने वाले दस्तावेज को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर विज्ञप्ति की अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र में सम्मिलित करवाया जा सकेगा, परन्तु विज्ञप्ति में वर्णित आवेदन जमा करवाये जाने की अन्तिम तिथि के पश्चात् किसी भी प्रकार के दस्तावेज को शामिल नहीं किया जावेगा।

3. चयन की प्रक्रिया

सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों में संलग्न दस्तावेजों की पूर्णतः जाँच की जावेगी। तथा विज्ञप्ति की अन्तिम तिथि के 07 दिवस में प्रपत्र "ब" चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र अनुसार की गई परिनिरीक्षा (Scrutiny) के आधार पर अंतिम वरीयता सूची तैयार की जावेगी।

ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता, ऑगनबाड़ी सहायिका, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता के पद रिक्ति की आवेदन जमा करवाने की अन्तिम तिथि से आगामी 60 दिवस में ग्रामीण/शहरी चयन समिति द्वारा निम्नानुसार चयन कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

A. ग्रामीण क्षेत्र:-ग्रामीण क्षेत्रों में चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया ग्राम पंचायत/सीडीपीओ कार्यालय द्वारा आवेदन जमा करवाने की अन्तिम तिथि की तिथि से आगामी 60 दिवस की समयावधि या 1 ग्राम सभा की बैठक आयोजन में (जो भी पहले हो) सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पूर्ण की जानी चाहिए। इस हेतु उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग एवं सीडीपीओ द्वारा पंचायत राज विभाग से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विकास अधिकारी से विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन करवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

B. शहरी क्षेत्र:-शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आवेदन जमा करवाने की अन्तिम तिथि से आगामी 60 दिवस में सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जावेगी। शहरी क्षेत्रों में गठित समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा:-

1	उप खण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2	संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य सचिव
3	संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
4	संबंधित आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी (नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका) अथवा उनके द्वारा नामित कोई एक अधिकारी	सदस्य
5	संबंधित वार्ड पार्षद	सदस्य
6	सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक	सदस्य
नोट:-उक्त गठित शहरी चयन समिति की बैठक में कोरम 6 में से 3 सदस्यों के उपस्थित होने पर चयन प्रक्रिया सम्पादित की जा सकेगी।		

- (i) यदि सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया आवेदन जमा करवाने की अन्तिम तिथि से आगामी 60 दिवस में पूर्ण नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा मूल्यांकन प्रपत्र अनुसार की गई परिनिरीक्षा (Scrutiny) के आधार पर बनाई गई वरीयता सूची मय संलग्न दस्तावेजों के स्कीनिंग समिति के समक्ष पेश करेगा। सम्बन्धित जिले के उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास की अध्यक्षता में गठित स्कीनिंग समिति द्वारा दस्तावेजों की पूर्ण जांच करते हुये आगामी 30 दिवस में अर्थात् आवेदन जमा करवाने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस की अवधि में वरीयता सूची

में से विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप योग्यतम महिला के चयन का अनुमोदन किया जाकर सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। स्कीनिंग समिति निम्नानुसार होगी:-

1	उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास	अध्यक्ष
2	संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य सचिव
3	सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक (ICDS)	सदस्य

- (ii) आंगनवाड़ी मानदेयकर्मियों के चयन की प्रक्रिया आवेदन जमा करवाने की अन्तिम तिथि के अधिकतम 60 दिवस में उप निदेशक स्तर पर गठित समिति द्वारा चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए, जिसके लिए निम्नानुसार टाइमलाईन निर्धारित होगी-

क्र.सं.	कार्य	निर्धारित समयावधि
1	विज्ञप्ति प्रकाशन	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिका की सेवानिवृत्ति से 06 माह पूर्व।
2	आवेदन की प्राप्ति	विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर
3	प्राप्त आवेदनों की जांच व अन्तिम वरीयता सूची तैयार करना	आवेदन की अन्तिम तिथि से 07 दिवस के भीतर।
4	बाल विकास परियोजना अधिकारी स्तर पर सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया का निस्तारण	आवेदन जमा करवाने की अन्तिम तिथि से 60 दिवस तक।
5	उप निदेशक स्तर पर गठित समिति को प्रेषित प्रकरणों में चयन का अनुमोदन करना	आवेदन जमा करवाने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस तक।

- (iii) आवेदन जमा करवाने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस की अवधि में सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में चयन नहीं होने के ठोस कारणों मय स्पष्टीकरण सहित प्राप्त आवेदनों को तुरन्त प्रभाव से निदेशालय को भिजवाये जायेगे। उप निदेशक स्तर पर आवेदन जमा करवाने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस (निर्धारित 30 दिवस की समयावधि) में सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया सम्पादित नहीं किये जाने के पश्चात् उप निदेशक स्तर से आगामी 07 दिवस में सम्पूर्ण चयन प्रकरण की पत्रावली मय की गई कार्यवाही सहित निदेशालय में प्रस्तुत प्रस्तुत किया जावेगा। उप निदेशक स्तर से उपरोक्तानुसार चयन से शेष प्रकरणों की पत्रावली निदेशालय में प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित उप निदेशक को दोषी मानते हुये नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- (iv) निदेशालय में चयन प्रकरण प्राप्त होने पर उप निदेशक (वि.खा.का) की अध्यक्षता में निदेशालय स्तर पर गठित चयन कमेटी द्वारा चयन करने या चयन के संबंध में चयन अवधि बढ़ाने/चयन प्रक्रिया निरस्त करने के संबंध में निर्णय लेने की आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
- (v) चयन हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति की तिथि की सूचना ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में नगर निकाय के प्रमुख को सूचित करते हुए कार्यालय

- के नोटिस बोर्ड पर एवं सम्बन्धित आंगनवाडी केन्द्र पर चरपा की जायेगी। उक्त की पालना सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक द्वारा कराई जायेगी।
- (vi) उप निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे ग्राम के सभी वार्ड पंचों और शहरी वार्ड पार्षदों को उक्त पद रिक्ति की दिनांक के बारे में सूचित कर आवश्यक प्रचार प्रसार किया जाएगा।
- (vii) बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को परिपत्र के साथ संलग्न चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र "परिशिष्ट-ब" के अनुसार दस्तावेजों की प्राथमिक जाँच उपरान्त मापदण्ड अनुसार अंक देकर वरीयता सूची तैयार की जाएगी।
- (viii) सीडीपीओ के स्तर से चयन कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में बाल विकास परियोजना अधिकारी की अनुशंसा परिशिष्ट 'स' में भरकर उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास को चयन की सूचना जारी करने हेतु प्रेषित की जायेगी।
4. आंगनवाडी मानदेयकर्मी (आंगनवाडी कार्यकर्ता, शिशु पालनागृह कार्यकर्ता, सहायिका) का पद यदि चयन के एक वर्ष के अंतर्गत ही त्यागपत्र देने से रिक्त हो जाए, वहां उसी वरीयता सूची से द्वितीय वरीयता के अभ्यर्थी को चयनित किया जा सकेगा। द्वितीय वरीयता वाले आवेदक द्वारा भी त्यागपत्र देने की स्थिति में तृतीय वरीयता के अभ्यर्थी का चयन किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सीधे ही नियुक्ति दी जा सकेगी। उक्त प्रकरण में एक वर्ष की अवधि की गणना प्रथम वरीयता प्राप्त आवेदक के चयन आदेश की दिनांक से की जायेगी।
5. किसी परिवार के मुखिया की दुर्घटना या सिलिकोसिस से मृत्यु होने पर (FIR/ PMR की रिपोर्ट के साथ सिलिकोसिस/दुर्घटना से मृत्यु होने के प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरान्त) उसकी विधवा पत्नी को संबल देने के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक पात्रता रखने की स्थिति में उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उसे सीधे नियुक्ति दी जा सकेगी, बशर्ते उसके राजस्व ग्राम/वार्ड में स्थित आंगनवाडी केन्द्र पर रिक्ति विद्यमान हो। इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी एवं अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष लागू होगी। इस संबंध में उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास/सीडीपीओ द्वारा समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। उपरोक्तानुसार चयन प्रक्रिया में 1 से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में जो सबसे कम उम्र में विधवा (विधवा महिला की जन्मतिथि के आधार पर) हुई हो, को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

6. (A) चयन हेतु वांछित पात्रता:-

- (i) स्थानीय निवासी होना- आंगनवाडी कर्मी के लिए ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करने वाली विवाहित महिला जिस ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम के आंगनवाडी केन्द्र हेतु चयन हो रहा है, उस ग्राम पंचायत के उसी राजस्व ग्राम की निवासी होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस आंगनवाडी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है, उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए। विधवा महिला व तलाकशुदा को ससुराल व मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
- (ii) स्थानीय निवासी होने के आधार हेतु दस्तावेजों की छाया प्रति मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/जन आधार कार्ड/आधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र/विवाह

- पंजीयन प्रमाण पत्र/ग्राम विकास अधिकारी/सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से कोई भी दो वांछनीय दस्तावेजों की छाया प्रति का उल्लेख आवेदन पत्र में भी किया जाये।
- (iii) आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना अनिवार्य है।
- (iv) वैवाहिक स्थिति— आंगनवाड़ी कर्मियों के पद पर आवेदन हेतु महिला का विवाहित होना आवश्यक है।
- (v) शैक्षणिक योग्यता— आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका एवं शिशुपालना गृह कार्यकर्ता हेतु न्यूनतम बारहवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- (vi) महिलाओं में शैक्षणिक पिछड़ेपन की स्थिति वाले जिले 1 बाडमेर, 2.जैसलमेर, 3.जालौर, 4.प्रतापगढ़, 5.टोंक, 6.सिरोही, 7.उदयपुर में निर्धारित योग्यता के आवेदक नहीं मिलने की स्थिति में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता देते हुये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका हेतु 10वीं उत्तीर्ण महिला का चयन किया जा सकता है, परन्तु इस का स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
- (vii) यदि कोई सहायिका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद पर आवेदन करती है तो 2 वर्ष की निरन्तरता का कार्यानुभव (केवल राजस्थान राज्य में) रखने वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं को सीधे ही उसी आंगनवाड़ी केन्द्र में जिसमें वह कार्यरत है में कार्यकर्ता के पद पर लगाया जायेगा बशर्ते रिक्तियों की उपलब्धता, शैक्षणिक योग्यता व सेवा रिकार्ड, के मानदण्ड को पूर्ण करती हो। इसमें अंकों की वरीयता सूची अप्रभावी मानी जायेगी।
- (viii) आयु— आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी, आवेदनकर्ता की आयु की गणना जन्मतिथि से विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि के आधार पर की जावेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित— प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्पोषण) के प्रकरण में अधिकतम आयु 40 वर्ष तक की होगी। (विज्ञप्ति प्रकाशन/जारी होने की तिथि को)
- आंगनवाड़ी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिये आवेदन करता है तो उन पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी।
 - विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र व पुनर्विवाह नहीं किया है, इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक होगा।
 - तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम न्यायालय से जारी आदेश/डिक्री की छायाप्रति को आवश्यक रूप से दस्तावेजों में संलग्न किया जाये।
 - यदि किसी आवेदक के दस्तावेज जांच के दौरान जाली/फर्जी/कूटरचित पाया जाता है तो ऐसे आवेदक का आवेदन पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जायेगा तथा ऐसा आवेदक भविष्य में भी मानदेयकर्मों हेतु चयन का पात्र नहीं होगा।
- (ix) चयन हेतु मूल्यांकन मानदण्ड—विभिन्न पदों की व्यावहारिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवेदकों के चयन हेतु उनके मूल्यांकन का एक मानदण्ड निर्धारित होगा, जिसमें अलग-अलग बिन्दुओं के अलग-अलग अंकभार निर्धारित होंगे, जो निम्नानुसार होगा—

चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र

आंगनवाडी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए					
क्र. सं.	मापदण्ड	विस्तृत विवरण	अंक भार	पूर्णांक	प्राप्तांक
1	शैक्षणिक योग्यता (कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/शिशु पालनागृह कार्यकर्ता)	स्नातकोत्तर (अन्तिम वर्ष उत्तीर्ण होने पर)	2	2	
		स्नातक (अन्तिम वर्ष उत्तीर्ण होने पर) या समकक्ष योग्यता	1		
		12वीं पास या समकक्ष योग्यता	0		
		राजस्थान सरकार एवं NCTE द्वारा अनुमति प्राप्त संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से द्विवर्षीय NTT/DPSE डिप्लोमा/B.Ed. <u>BSTC/ द्विवर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र (D.El.Ed)</u>	2	2	
2	श्रेणी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	3	3	
		पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक सक्षम प्रमाण पत्र के आधार पर सामान्य	2		
			1		
		विमुक्त एवं अर्द्धघुमन्तु जाति/आदिम व घुमन्तु जाति सक्षम प्रमाण पत्र के आधार पर	2	2	
	गति आधारित दिव्यांगजन (गति आधारित -प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्पोषण), 40 प्रतिशत विकलांगता की स्थिति में सक्षम प्रमाण पत्र के आधार पर	2	2		
3	विशेष योग्यता	जी.एन.एम./आयुर्वेद नर्सिंग	4	4	
		ANM	3		
		RSCIT/PGDCA	1		
4	कार्यानुभव	ऑगनवाडी कार्यकर्ता/मिनी ऑगनवाडी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/सहायिका/आशासहयोगिनी/साथिन के रूप में नियमित एवं संतोषप्रद सेवा होने पर अथवा कार्यमुक्त हुई है तो निरन्तरता मे सम्मिलित करते हुए 1 वर्ष का कार्यानुभव (केवल राजस्थान के मानदेय कर्मियों को)	4	4	
5	विधवा/तलाकशुदा/	विधवा	3	3	
		तलाकशुदा	2		
कुल				23

हस्ताक्षर मय दिनांक
वाल विकास परियोजना अधिकारी

हस्ताक्षर मय दिनांक
महिला पर्यवेक्षक

नोट:- केवल शहरी क्षेत्र की साथिन जो परिसीमन होने के पश्चात निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग द्वारा कार्यमुक्त कर दी गई है उन्हें सम्बन्धित नगरीय निकाय में आंगनवाडी कार्यकर्ता का पद रिक्त होने से एक माह पूर्व आवेदन करना होगा। उक्त पद पर

अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं रखते हुए, शैक्षणिक योग्यता एवं उसी वार्ड की निवासी की बाध्यता को हटाते हुए उक्त पद पर सीधे ही साथिन के पद से कार्यमुक्त की गई महिला का चयन करना सुनिश्चित करे तथा उक्त पद की विज्ञापित जारी नहीं करें। उक्त प्रकरण में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में अधिकतम शैक्षणिक योग्यता वाली महिला का चयन किया जावेगा।

(x) समान अंक आने की स्थिति :-

- दो या अधिक आवेदकों के बराबर अंक होने की स्थिति में निम्न क्रम में वरीयता दी जाएगी—
 1. विधवा, इनमें भी समान अंक होने पर जो सबसे कम उम्र की विधवा (विधवा महिला की जन्मतिथि के आधार पर) हुई हो।
 2. तलाकशुदा, इनमें भी समान अंक होने पर जो सबसे कम उम्र की तलाकशुदा (तलाकशुदा महिला की जन्मतिथि के आधार पर) हुई हो।
 3. विकलांग
 4. अधिकतम आयु वाली महिला।
 5. अधिकतम आयु वाली महिला में भी दो या दो से अधिक आवेदकों के बराबर अंक होने की स्थिति में बराबर अंक व एक ही जन्म दिनांक की महिला होने की स्थिति में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के अनुसार वरीयता निर्धारित की जाएगी।

नोट:

1. उक्त मूल्यांकन प्रपत्र 2 प्रतियों में महिला पर्यवेक्षक द्वारा भरा जाएगा।
2. आंगनबाड़ी-कर्मि चयनित महिला के मूल्यांकन प्रपत्र की एक प्रति उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग तथा दूसरी प्रति सम्बंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में मय आवेदन पत्र एवं चयन के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सुरक्षित रखी जाएगी।
3. प्रत्येक जगह आंगनबाड़ी मानदेयकर्मि के चयन में 3 आवेदकों की आरक्षित सूची भी बनायी जाये, ताकि मानदेयकर्मि के चयन के एक वर्ष के भीतर मानदेयकर्मि के हटने या हटाये जाने पर तत्काल दूसरे मानदेयकर्मि को लगाने का विकल्प उपलब्ध हो।
4. प्रत्येक चयनित मानदेयकर्मि की निजी पत्रावली संधारित की जावेगी।

(xi) श्रेणीवार आरक्षण -

- जिन केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है, को उन केन्द्रों हेतु अनिवार्यतः उसी वर्ग की महिला का चयन किया जाएगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाड़ी केन्द्र के सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जावेगी।
- संबंधित आरक्षित श्रेणी के आवेदन प्राप्त नहीं होने पर विज्ञापित को निरस्त कर उक्त पद को आगामी विज्ञापित में शामिल किया जावेगा।
- चयन की प्राथमिकता परिशिष्ट 'ब' पर दिए गए मूल्यांकन प्रपत्र में वर्णित मापदण्डों व उनके अंक भार के अनुसार देय होगी।

(B) विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप चयन नहीं होने पर अपील -

1. यदि बाल विकास परियोजना अधिकारी/उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ऐसी महिला का चयन किया गया है जो वांछित पात्रता एवं वरीयता क्रम में उपयुक्त नहीं है एवं विभागीय नियमानुसार नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई भी प्रभावित पक्ष 1 माह के भीतर अधोनिर्दिष्ट प्राधिकारी के सम्मुख अपील प्रकरण बनाकर प्रस्तुत करेंगे। प्रथम अपील के निस्तारण के 1 माह के अन्दर द्वितीय अपील की जा सकेगी। निर्धारित अपीलीय अवधि के पश्चात अपील प्रस्तुत करने पर अपील स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इसके लिए परियोजना क्षेत्रानुसार अपील प्राधिकारी एवं अपील निस्तारण की अवधि निम्न प्रकार होंगी :-

समेकित बाल विकास सेवाओं के लिए

क्र.सं.	क्षेत्र	अपील प्राधिकारी		निस्तारण अवधि	
		प्रथम अपील	द्वितीय अपील	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
1	ग्रामीण	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	अतिरिक्त निदेशक (आई.) निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं	1माह	1 माह
2	शहरी	अति० जिला कलेक्टर	अतिरिक्त निदेशक (आई.) निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं	1माह	1 माह

7. मानदेय सेवा एवं प्रशिक्षण

- (i) उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मानदेय कर्मियों के चयन अनुमोदन पश्चात 7 दिवस में चयन की सूचना संबंधित अभ्यर्थी को जारी की जावे।
- (ii) अभ्यर्थी का चयन होने पर भारत सरकार/ राज्य सरकार के नियमानुसार प्रशिक्षण जिला स्तर पर प्रशिक्षण व्यवस्था के अनुरूप प्राप्त करेंगे।
- (iii) चयन कार्यवाही पूर्ण होने के 2 माह में अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में भेजे जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाये।
- (iv) मानदेयकर्मियों के प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त उन्हें 15 दिवस के भीतर चयन आदेश दिया जाना आवश्यक होगा। आंगनवाडी कार्यकर्ता/मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ता/शिशु पालनागृह कार्यकर्ता को कार्यविधि प्रशिक्षण में 'ए' या 'बी' ग्रेड प्राप्त करने के पश्चात ही कार्यादेश जारी किये जायेंगे।
- (v) आंगनवाडी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ता, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता एवं सहायिका राज्य कर्मचारी नहीं होकर मानदेय सेवाकर्मी है। इनके द्वारा आंगनवाडी केन्द्रों पर दी जा रही सेवाओं के लिए निर्धारित दरों के अनुसार इन्हें मानदेय का भुगतान किया जावेगा। ये पूर्णतः अस्थायी एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाली मानदेयकर्मियों हैं। इन पर राज्य कर्मचारियों के किसी भी प्रकार के सेवा नियम लागू नहीं होंगे। इस बाबत चयन आदेश में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
- (vi) मानदेयकर्मियों की जन्मतिथि के आधार के रूप में किसी भी राज्य के बोर्ड द्वारा जारी दसवीं के अंकपत्र/प्रमाण पत्र को मूल आधार माना जायेगा और कार्यादेश में मानदेय कार्मिक की जन्मतिथि का इसी रूप में अंकन करते हुए उसकी जन्म तिथि का आधार (दसवीं के अंकपत्र अथवा प्रमाण पत्र) का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा, जिसमें शब्दों एवं अंकों में अंकन किया जाना अनिवार्य है।
- (vii) कार्यादेश के उपरान्त ही केन्द्र पर कार्य प्रारम्भ करने पर मानदेय का लाभ देय होगा। किसी चयनित महिला के 'सी' या 'डी' ग्रेड आने पर उसे एक अतिरिक्त अवसर देते हुए

पुनः कार्यविधि प्रशिक्षण में भेजा जा सकेगा। इस अवसर के बाद 'ए' या 'बी' ग्रेड प्राप्त करने के पश्चात ही कार्यादेश जारी किये जायेगा। यदि चयनित महिला को 'सी' या 'डी' ग्रेड प्राप्त होती है, तो इसके उपरान्त कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जायेगा।

- (viii) ऐसे पूर्व मानदेय कार्मिक जिनका दुबारा चयन उसी मानदेय पद हेतु होता है, तो उन्हें पुनः कार्यविधि प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- (ix) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/ सहायिका मानदेय सेवाकर्मी है। अतः इनका स्थानान्तरण किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकेगा।
- (x) आंगनबाड़ी सहायिका को मानदेय सेवा पर कार्यग्रहण करने से पूर्व जॉब प्रशिक्षण दिए जाने की बाध्यता नहीं है। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उन्हें सीधे ही कार्य ग्रहण करवाने के आदेश जारी किए जाएंगे। सहायिका द्वारा 2 वर्ष के अंदर आमुखीकरण (Orientation) प्रशिक्षण लिया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- (xi) आवेदन करने वाली महिला यदि आवेदन करने के समय किसी स्थानीय निकाय यथा पंचायतीराज अथवा नगरीय निकाय में निर्वाचित पदों पर आसीन है, तो उक्त महिला को चयन आदेश जारी होने पर 15 दिवस की अवधि में आसीन पद से त्यागपत्र देने पर ही प्रशिक्षण में भेजा जा सकेगा। निर्धारित अवधि में त्यागपत्र नहीं देने की स्थिति में चयन स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं कमशः द्वितीय/तृतीय वरीयता प्राप्त महिला का चयन आदेश जारी किया जा सकेगा।
- (xii) आवेदन करने वाली महिला यदि आवेदन करने के समय किसी आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यरत है, तो उक्त महिला को आवेदन के साथ त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु प्रशिक्षण हेतु आदेश जारी होने पर त्यागपत्र देना होगा, त्यागपत्र नहीं देने की स्थिति में चयन स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं कमशः द्वितीय/तृतीय वरीयता प्राप्त महिला का चयन आदेश जारी किया जा सकेगा।

8. मानदेय सेवा से पृथक्करण—

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/सहायिका का मानदेय से पृथकीकरण निम्नलिखित स्थितियों में किया जा सकेगा :-

- (i) सेवानिवृत्ति आयु पूर्ण होने पर।
- (ii) बिना विभागीय अनुमति/सूचना के 10 दिवस या अधिक अनुपस्थिति होने पर।
- (iii) जांच में कोई अनियमितता या शिथिलता बरते जाने पर।

9. सेवा से पृथकीकरण के संबंध में निम्नानुसार बिन्दु महत्वपूर्ण होंगे—

- (i) उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग/ बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा 1 दिसम्बर तक उन सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालनागृह कार्यकर्ता की सूची जारी की जाएगी जिनकी आगामी वर्ष में 61 वर्ष की आयु पूर्ण होने के कारण मानदेय सेवा समाप्त होगी। इस बारे में मानदेय कर्मियों को सूचित करने की जिम्मेदारी संबंधित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग/बाल विकास परियोजना अधिकारी व महिला पर्यवेक्षक की होगी।
- (ii) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/सहायिका के 61 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उन्हें सेवानिवृत्त किया जावेगा। 61 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में मानदेय कर्मियों की सेवा विस्तार नहीं किया

- जावेगा। पूर्व में मानदेय सेवा विस्तार की जा चुकी मानदेयकर्मियों को सेवा विस्तार पूर्ण होने पर ही मानदेय सेवा से पृथक किया जावेगा।
- (iii) आगनबाडी मानदेयकर्मियों के 61 वर्ष आयु पूर्ण होने पर मानदेय सेवा से पृथक्कीकरण हेतु जन्मतिथि वाले माह की प्रथम तिथि से माह की अंतिम तिथि होने पर मानदेयकर्मियों को उस माह में मानदेय सेवा से सम्बन्धित कार्य सम्पादित करवाते हुये माह की अन्तिम तिथि को ही मानदेय सेवा से पृथक किया जावे।
- (iv) यदि 61 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद भी कोई आगनबाडी मानदेय कार्मिक कार्यरत पाई जाती है तो संबंधित उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग/बाल विकास परियोजना अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी होंगे। इसके साथ ही संबंधित मानदेय कार्मिक को जन्मतिथि के अनुसार 61 वर्ष की आयु पूर्ण किये जाने के दिवस/तिथि से अधिक अवधि के मानदेय भुगतान की राशि संबंधित पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी व उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग से वसूली की जाएगी।
- (v) यदि आगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी आगनबाडी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता किसी प्रकार के दुराचरण की दोषी/सजा याप्ता प्राप्त पायी जाती है या किसी न्यायालय द्वारा अपराधिक प्रकरण में दोषी पाई जाती है तो उसे मानदेय सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
- (vi) जिला स्तरीय अधिकारी, निदेशालय के अधिकारियों अथवा अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आगनबाडी केन्द्र बंद पाये जाने व गम्भीर अनियमितता दर्शित होने/आशंका के दृष्टिगत आगनबाडीकर्मियों की मानदेय सेवा रोकते हुए जांच उपरान्त मानदेय कर्मियों को दोषी पाये जाने पर मानदेय सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे प्रकरणों में संबंधित मानदेयकर्मियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जांच उपरान्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग/बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ द्वारा सेवा से पृथक किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। निर्णय से संबंधित निरीक्षणकर्ता को भी आवश्यक रूप से सूचित किया जायेगा। मानदेय सेवा से पृथक की गई मानदेयकर्मियों 1 माह की अवधि में अपनी अपील संबंधित अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकती है।
- (vii) किसी मानदेयकर्मियों के बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर 15-15 दिवस के अन्तराल में 2 नोटिस दिये जायेंगे। दूसरे नोटिस के 15 दिवस के अन्दर उपस्थित नहीं होने पर संबंधित कर्मियों को मानदेय सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
- (viii) शिकायत/अनियमितता के कारण मानदेय सेवा से पृथक की गई महिलाओं को किसी भी परिस्थिति में पुनः मानदेय सेवा के लिये आवेदन नहीं कर सकेगी।
- (ix) राज्य सरकार के निर्णयानुसार परियोजना/ग्राम पंचायत के समापन, पुर्नगठन अथवा विलय के फलस्वरूप आगनबाडी केन्द्र बन्द कर दिया जाता है तो उस केन्द्र पर कार्यरत मानदेय कर्मियों की सेवाएँ स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी। इस कारण उन्हें किसी भी विधिक कार्यवाही का अधिकार नहीं होगा।
- (x) अपील करने के लिए निर्धारित अवधि अथवा अपील होने पर उसके निस्तारण होने तक संबंधित मानदेय कर्मियों के स्थान पर नवीन चयन नहीं किया जायेगा।

- (xi) मानदेय सेवा से पृथक किये गये ऐसे मानदेयकर्मी 01 माह की अवधि में अपना अभ्यावेदन (अपील) तथा प्रथम अपील की निस्तारण तिथि से 01 माह की अवधि में द्वितीय अपील निम्नानुसार सम्बन्धित अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेंगे :-

क्र. सं.	क्षेत्र	अपील प्राधिकारी		निस्तारण अवधि	
		प्रथम अपील	द्वितीय अपील	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
1	ग्रामीण	उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग	अति० निदेशक, निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं	01 माह	01 माह
2	शहरी	उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग	अति० निदेशक, निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं	01 माह	01 माह

विशिष्ट परिस्थिति में किसी प्रकरण में राज्य सरकार को किसी स्तर पर अनियमित कार्यवाही की शिकायत प्राप्त होती है तो आदेश जारी होने के 90 दिवस या अधिक अवधि होने पर भी राज्य सरकार नियुक्ति/पृथक्कीकरण आदि से संबंधित प्रकरणों को मंवाकर परीक्षण कर उचित आदेश प्रसारित कर सकती है। इस संबंध में प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा।

10. अतिरिक्त कार्य प्रभार-

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/आंगनबाड़ी सहायिका/शिशु पालनागृह कार्यकर्ता को अतिरिक्त प्रभार दिये जाने की स्थिति में अतिरिक्त प्रभार के पद संबंधी मानदेय में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय राशि की 40 प्रतिशत राशि अतिरिक्त मानदेय के रूप में देय होगी।

11. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालनागृह कार्यकर्ता व सहायिका के उच्च शैक्षणिक अध्ययन हेतु अनुमति :-

- कोई मानदेयकर्मी जो प्राइवेट/पत्राचार उच्च अध्ययन हेतु स्वीकृति चाहती है, तो उप निदेशक/ बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा अनुमति दी जा सकती है।
- आंगनबाड़ी मानदेय कार्मिकों को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के नियमित अध्ययन/प्रशिक्षण (विभागीय प्रशिक्षण के अतिरिक्त) के लिए अवकाश तथा अनुमति देय नहीं होगी।
- केवल परीक्षा देने हेतु परीक्षा दिवसों का अवकाश प्रदान किया जा सकेगा। संबंधित उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग/ बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि मानदेयकर्मी के किसी भी प्रकार के अवकाश लेने से विभागीय सेवाओं की गतिविधियां प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
- यदि कोई मानदेय कर्मी बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के नियमित उच्च अध्ययन/प्रशिक्षण (जैसे बी.एड, बीएसटीसी आदि) के लिए प्रस्थान कर जाती है, तो उसे तत्काल मानदेय सेवा से पृथक कर दिया जाएगा तथा उसके स्थान पर अन्य मानदेय कार्मिक का चयन किया जायेगा। पत्राचार आधारित कोर्स अथवा प्राइवेट परीक्षा, जिसमें नियमित उपस्थिति आवश्यक नहीं है, के लिए वे अनुमत होंगी।
- संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/शिशुपालना गृह कार्यकर्ता का 2 वर्षीय एएनएम कोर्स/प्रशिक्षण के

लिये अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। और उसमें चयन होने पर प्रशिक्षण अवधि तक पद को रिक्त रखते हुए अन्य को कार्यभार दिया जायेगा तथा इसमें चयनित अभ्यर्थी को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस अवधि में उसे कोई मानदेय या इन्सेंटिव देय नहीं होगा, केवल उक्त अवधि में भी बीमा एवं बचत योजना का लाभ देय होगा।। यदि निर्धारित प्रशिक्षण अवधि के उपरांत भी वह कार्यभार ग्रहण नहीं करती है, तो उसे सेवा से पृथक करते हुए नवीन चयन की कार्यवाही की जायेगी।

12. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता व सहायिका के चुनाव में भाग लेना—

- (i) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता, सहायिका द्वारा शहरी स्थानीय निकाय/पंचायती राज संस्थाओं एवं अन्य समस्त प्रकार के चुनाव में भाग लेने हेतु नामांकन की तिथि से चुनाव का परिणाम आने तक अवैतनिक अवकाश लेना होगा उसके लिये त्याग पत्र दिया जाना आवश्यक नहीं होगा तथा पुरानी मानदेय वृद्धि का लाभ देय होगा यदि चुनाव में भाग लेने पर विजयी होने पर संबंधित निर्वाचन पद की शपथ लेने से पूर्व उनको तुरन्त उस पद से इस्तीफा देना आवश्यक होगा यदि संबंधित निर्वाचन पद की शपथ लेने के पश्चात भी संबंधित मानदेय कर्मी (स्वीकृत अवकाश अवधि तक) कार्यग्रहण नहीं करती है तो उनको मानदेय सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।
- (ii) यदि किसी मानदेयकर्मी द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी को बिना सूचना दिये चुनाव में भाग लिया जाता है, तो मतदान की तिथि से उक्त मानदेयकर्मी को सेवा से पृथक समझा जाएगा। इस संबंध में उप निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सेवा से पृथक करने का आदेश प्रसारित किया जाएगा।
- (iii) यदि कोई मानदेय कर्मी किसी शहरी स्थानीय निकाय/पंचायती राज संस्थाओं के लिए किसी पद पर मनोनीत की जाती है, तब भी उसे मनोनयन के 1 माह के अन्दर किसी भी एक पद से त्याग पत्र देना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 माह पूर्ण होने के पश्चात् उसे मानदेय सेवा से स्वतः पृथक समझा जायेगा तथा उप निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी इस संबंध में पृथक्करण आदेश जारी करेंगे।

13. मानदेय कर्मियों को देय अवकाश :-

(अ) प्रसूति अवकाश

- (i) इस अवकाश की अधिकतम अवधि 180 दिवस होगी। प्रसूति अवकाश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा गर्भावस्था के 7वें माह से लिया जा सकता है।
- (ii) प्रसूति अवकाश सुविधा अधिकतम दो बार देय होगी।
- (iii) प्रसूति अवकाश की सुविधा उन्हीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता व सहायिकाओं को देय होगी, जिनके दो से कम जीवित सन्तान हैं।
- (iv) मानदेय कर्मियों द्वारा प्रसूति अवकाश के लिए किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी संभावित प्रसव तिथि (इडीडी) अथवा बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र/प्रसूता के डिस्चार्ज टिकिट की प्रतिलिपि के साथ साधारण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन में उन्हें पीसीटीएस आईडी का अंकन करना आवश्यक होगा।
- (v) प्रसूति अवकाश की अवधि का मानदेय भुगतान अवकाश की अवधि के दौरान नियमित रूप से किया जाये।
- (vi) प्रसूति अवकाश के दौरान इन्हें पूर्ण मानदेय का भुगतान किया जायेगा, जो कि वह प्रसूति अवकाश से पूर्व प्राप्त कर रही थी।
- (vii) प्रसूति अवकाश राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगा।

(ब) गर्भपात/प्रसव दुर्घटना अवकाश :-

- (i) यह अवकाश घटना के दिवस से अधिकतम 45 दिवस का होगा।
- (ii) प्रसूति अवकाश के अतिरिक्त यह सुविधा एक ही बार देय होगी।
- (iii) इस अवकाश की स्वीकृत के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता एवं सहायिका पर जीवित बच्चों की संख्या का उपबन्ध प्रभावी नहीं होगा। यह अवकाश किसी पंजीकृत चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है।
- (iv) गर्भपात/प्रसव दुर्घटना अवकाश की अवधि का मानदेय भुगतान अवकाश की अवधि के दौरान नियमित रूप से किया जाएगा।
- (v) गर्भपात/प्रसव दुर्घटना अवकाश के दौरान इन्हें पूर्ण मानदेय का भुगतान किया जायेगा जो कि वह गर्भपात/प्रसव दुर्घटना अवकाश से पूर्व प्राप्त कर रही थी।
- (vi) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता व सहायिका के प्रसूति/गर्भपात/प्रसव दुर्घटना अवकाश पर जाने की स्थिति में विभागीय गतिविधियां प्रभावित नहीं हो, इसे ध्यान में रखकर उप निदेशक, महिला/बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था कर विभागीय गतिविधियों का संचालन सुचारु रखा जायेगा।
- (vii) बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा इनके स्थान पर उसी आंगनबाड़ी केन्द्र की निर्धारित योग्यता वाली मानदेयकर्मी, नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्र की कार्यकर्ता/सहायिका को अतिरिक्त कार्यभार दिया जायेगा तथा बिन्दु संख्या 9 के अनुसार अतिरिक्त कार्य प्रभार संबंधी अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा, इसमें विभाग समयानुसार संशोधन कर सकेगा।

(स) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/मिनी कार्यकर्ता/शिशुपालना गृह कार्यकर्ता को देय राजकीय अवकाश -

1. महा शिवरात्रि	1 दिवस
2. होली दहन	1 दिवस
3. धुलण्डी	1 दिवस
4. रामनवमी	1 दिवस
5. ईदुलफितर (चांद से)	1 दिवस
6. ईदुलजुहा (चांद से)	1 दिवस
7. रक्षा बन्धन	1 दिवस
8. जन्माष्टमी	1 दिवस
9. विजय दशमी (दशहरा)	1 दिवस
10. करवा चौथ	1 दिवस
11. दीपावली	1 दिवस
12. गोवर्धन पूजा	1 दिवस
13. क्रिसमस डे	1 दिवस

कुल 13 दिवस

- नोट :-**
1. उक्त अवकाशों के अतिरिक्त, जिला कलेक्टर द्वारा घोषित दो स्थानीय अवकाश भी देय होंगे।
 2. परिवार में ब्लड रिलेशन में अथवा निकटतम सदस्य की मृत्यु होने पर 5 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देय होगा। (निकटतम सदस्य में सगे पुत्र-पुत्री, पति, भाई-बहिन, सास-ससुर, माता-पिता)

(द) ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश—

a) अवकाश की अवधि

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता प्रत्येक को प्रतिवर्ष 10 दिवस का ग्रीष्मकालीन व 10 दिवस का शीतकालीन अवकाश देय होगा।

- ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 से 30 जून की अवधि में देय होगा।
- शीतकालीन अवकाश 1 से 31 दिसम्बर की अवधि में देय होगा।

b) अवकाश के लिए आवेदन प्रक्रिया

- मानदेयकर्मियों द्वारा 15 मई तक ग्रीष्मकालीन एवं 15 नवम्बर तक शीतकालीन अवकाश के लिए पर्यवेक्षक के माध्यम से बाल विकास परियोजना अधिकारी को आवेदन किया जायेगा।
- आवेदन करते समय मानदेयकर्मी यह ध्यान रखे कि किसी केन्द्र से समान अवधि में एक से अधिक मानदेय कर्मियों द्वारा अवकाश न मांगे जाये।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी 20 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा 20 नवम्बर तक शीतकालीन अवकाश की स्वीकृति के आदेश जारी कर संबंधित मानदेयकर्मियों को सूचित करेंगे।
- ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश किसी अन्य प्रकृति के अवकाश जैसे मातृत्व/गर्भपात अवकाश, आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़कर नहीं लिये जा सकते हैं।
- मानदेय कर्मियों को देय राजकीय/जिला कलेक्टर द्वारा घोषित स्थानीय अवकाश उक्त 10 दिवस की अवधि के मध्य पड़ने पर उक्त अवकाश की गणना 10 दिवस के अवकाश में ही की जायेगी।

c) विशेष ध्यान देने योग्य निर्देश/प्रक्रिया

- अवकाश पर रहने वाले मानदेय कर्मिक का कार्य केन्द्र पर उपस्थित अन्य मानदेय कर्मियों द्वारा संपादित किया जायेगा, जिसके लिए किसी भी मानदेय कर्मिक को पृथक से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को अवकाश स्वीकृत करने की स्थिति में मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के संचालन हेतु निकटतम केन्द्र की कार्यकर्ता/सहायिका को पर्यवेक्षक/बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जायेगा।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश के लिए निर्धारित 30 दिवस की अवधि में प्रत्येक आंगनवाड़ी मानदेयकर्मी को 10-10 दिवस के अवकाश को आवश्यकता एवं मांग अनुसार परिवर्तित करने व आकस्मिक तथा आपातकालीन परिस्थिति में अवकाश स्वीकृत को संशोधित अथवा निरस्त भी कर सकेंगे।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की उपस्थिति शहरी क्षेत्रों में महिला पर्यवेक्षक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच द्वारा प्रमाणित कर बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष परिस्थिति में यदि मानदेयकर्मी द्वारा उपस्थिति पेश करने के 07 दिवस में सरपंच द्वारा उपस्थिति प्रमाणित नहीं की जाती है तो, संबंधित महिला/पुरुष पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाणित की जा सकेगी।

(य) आकस्मिक अवकाश :-

- भारत सरकार के पत्र क्रमांक 19-9/85-सी.डी.(I) दिनांक 19.03.85 के अनुरूप इन्हें वर्षभर में कुल 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। एक बार में अधिकतम 10 दिवस का आकस्मिक अवकाश लिया जा सकेगा।

- अँगनबाडी कार्यकर्ता/मिनी अँगनबाडी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/सहायिका को विशेष परिस्थिति के सिवाय अन्य कार्य के लिए एक साथ 10 दिवस से अधिक का अवकाश नहीं दिया जायेगा।
- आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति महिला पर्यवेक्षक द्वारा प्रदान की जा सकेगी।

(र) अवैतनिक अवकाश :-

- बीमारी/दुर्घटना की स्थिति में राजकीय चिकित्सालय/अनुमोदित चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी की समकक्षता के अनुसार जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर मानदेय कर्मियों का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।
- आंगनबाडी मानदेयकर्मियों को विदेश यात्रा हेतु अवैतनिक अवकाश सशर्त उसके आंगनबाडी केन्द्र का चार्ज आंगनबाडी केन्द्र पर कार्यरत सहायिका या नजदीक के आंगनबाडी केन्द्र की कार्यकर्ता को दिया जाकर अनुमति दी जा सकती है।
- यदि स्वीकृत अवकाश अवधि पूर्ण होने के उपरांत अवकाश पर जाने वाली मानदेयकर्मी आंगनबाडी केन्द्र पर उपस्थित नहीं होती है तो संबंधित मानदेयकर्मी को मानदेय सेवा से पृथक कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित मानदेयकर्मी की होगी।

14. मानदेय कार्मिकों पर लागू अन्य प्रावधान-

- आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता, एवं सहायिका को राजकीय कार्य से बैठक/प्रशिक्षण इत्यादि में भाग लेने पर सामान्य बस का वास्तविक यात्रा किराया देय होगा।
- आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता एवं सहायिका की उपस्थिति शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में महिला पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाणित कर उप निदेशक/ बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
- आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता, एवं सहायिका का मानदेय उप निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से सीधा बैंक खाते में ही जमा करवाया जायेगा।
- आंगनबाडी केन्द्रों का कार्य समय निम्नानुसार होगा जो आवश्यकता के अनुरूप बदला भी जा सकेगा :-

आंगनबाडी केन्द्र संचालन समय	
ग्रीष्मकालीन (1 अप्रैल से 30 सितम्बर)	प्रातः 08:00 बजे से 12:00 बजे तक (4 घण्टे)
शरदकालीन (1 अक्टूबर से 31 मार्च)	प्रातः 10:00 बजे से 2:00 बजे तक (4 घण्टे)

आंगनबाडी केन्द्र सह शिशु पालना गृह संचालन समय	
ग्रीष्मकालीन (1 अप्रैल से 30 सितम्बर)	प्रातः 08:00 बजे से 04:00 बजे तक (8 घण्टे)
शरदकालीन (1 अक्टूबर से 31 मार्च)	प्रातः 10:00 बजे से 6:00 बजे तक (8 घण्टे)

नोट:- समेकित बाल विकास सेवाओं के मानदेयकर्मीयो (आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता, आंगनबाडी सहायिका, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता) पर ये दिशा-निर्देश इस आदेश जारी होने की दिनांक के बाद जारी हुई आगामी विज्ञप्तियों में ही लागू होंगे। इस आदेश जारी होने से पूर्व जारी की गई विज्ञप्तियों में पूर्व में जारी चयन नियमो अनुसार ही चयन की कार्यवाही की जावे।

(रामावतार मीणा)

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक प.11(3)10/मो/आईसीडीएस/2011/4245-63 जयपुर, दिनांक 12/1/2023
प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदया,(स्वतंत्र प्रभार) महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. अति० मुख्य सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
5. आयुक्त, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर।
6. आयुक्त, महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
7. जिला प्रमुख, समस्त।
8. महापौर/सभापति, नगर निगम/नगर परिषद, समस्त।
9. जिला कलेक्टर, समस्त।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
11. आयुक्त, नगर निगम/नगर परिषद, समस्त।
12. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त।
13. सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, समस्त।
14. प्रधान, पंचायत समिति, समस्त।
15. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
16. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, समस्त।
17. बाल विकास परियोजना, अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ समस्त।
18. प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय समस्त।
19. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने।

(41)
अति० निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएं

औंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी औंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र

बाल विकास परियोजना/उप निदेशक :जिला :

ग्राम पंचायत/शहरी निकाय का नाम.....

राजस्व ग्राम/वार्ड

औंगनबाड़ी केन्द्र/ग्राम पंचायत का नाम

(जिसके लिए आवेदन किया गया है)

मानदेय सेवा पद.....

(जिसके लिए आवेदन किया गया है)

1. आवेदक का नाम
2. पति का नाम
3. पिता का नाम
4. पत्र व्यवहार का पता

5. मोबाईल नम्बर.....

6. आवेदक की मेल आई डी-

7. जन्म तिथि

8. आयु वर्ष माह

(विज्ञप्ति जारी होने/करने की तिथि के आधार पर)

9. वर्ग

(i) अनु.जाति जनजाति अल्पसंख्यक ओ.बी.सी सामान्य

एसबीसी आर्थिक पिछडा वर्ग (EWS)

(ii) आदिम व घुमन्तुजाति

(iii) दिव्यांग जन (गति आधारित)

(जो लागू हो टिक करें एवं सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करें, संलग्नक पृष्ठ संख्या)

10. वैवाहिक स्थिति-विवाहित विधवा तलाकशुदा

(जो लागू हो टिक करें एवं सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करें, संलग्नक पृष्ठ संख्या)

(अगले पृष्ठ पर जारी).....

11. विवाह की तिथि.....

(सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करें, संलग्नक पृष्ठ संख्या)

12. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :-

क्र. सं.	उत्तीर्ण कक्षा	वर्ष	विद्यालय/बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	सैकण्डरी			
2	हाई सैकण्डरी			
3	नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (NTT)/DPSE			
4	स्नातक			
5	स्नातकोत्तर			
6	B.Ed/BSTC /द्विवर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र (D.El.Ed)			
7	कम्प्यूटर कोर्स (RS-CIT /RS-CFA)/PGDCA			
8	ANM/GNM/Ayurved Nursing			
9	अन्य			

13. आंगनवाडी कार्यकर्ता/मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ता/सहायिका/शिशुपालना गृह के रूप में कार्यानुभव (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें, संलग्नक पृष्ठ संख्या.....)

14. अन्य योग्यता का विवरण-

(जो लागू हो टिक करें एवं सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करें, संलग्नक पृष्ठ संख्या.....)

15. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि :-

(अगले पृष्ठ पर जारी).....

संलग्न दस्तावेज (सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें) :-

(संलग्न किये गये दस्तावेजों पर टिक करे तथा अन्य को काट देवे)

क्र. सं.	योग्यता दस्तावेज	हाँ/नहीं	संलग्नक पृष्ठ संख्या
1	अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका / प्रमाण-पत्र		
2	नर्सरी टीचर टेनिंग (NTT) योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका / प्रमाण-पत्र		
3	सेकेंडरी की अंकतालिका / प्रमाण-पत्र		
4	स्थानीय निवासी होने का प्रमाण-पत्र <ul style="list-style-type: none"> • मतदाता पहचान-पत्र • राशन कार्ड • आधार कार्ड • जन आधार कार्ड 		
5	विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र		
6	अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र		
7	आदिम व घुमन्तु जाति का प्रमाण-पत्र		
8	दिव्यांग जन (गति आधारित) का प्रमाण-पत्र (40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण पत्र होने पर)		
9	जीएनएम / आयुर्वेद नर्सिंग / एएनएम का प्रमाण-पत्र		
10	RSCIT प्रमाण-पत्र / PGDCA		
11	कार्यानुभव प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)		
12	विधवा / तलाकशुदा का प्रमाण-पत्र		
13	अन्य		

दिनांक

हस्ताक्षर
(आवेदनकर्ता)

घोषणा

1. मैं शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी / सूचनाएं मेरी जानकारी अनुसार सत्य एवं पूर्ण हैं। मैंने कोई सूचना नहीं छिपाई है। यह जानकारी / सूचनाएं असत्य अथवा अप्रामाणिक पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त होने पर मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहूँगी।
2. मुझे विदित है कि आवेदित पद पूर्णतः मानदेय आधारित, अस्थायी एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने का पद है।
3. मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मेरे घर में शौचालय है, जिसका नियमित उपयोग किया जाता है।
4. मेरे द्वारा आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर दिये हैं। आवेदन के बाद किसी भी दस्तावेज को संलग्न करने हेतु अनुरोध नहीं करूँगी।

5. मेरे पति की मृत्यु दिनांक को हो चुकी है/ मैं दिनांक से तलाकशुदा हूँ/मैं दिनांक से परित्यक्ता हूँ तथा मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है। मैंने सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया है। (लागू होने पर ही भरा जाये)।

दिनांक

हस्ताक्षर (आवेदनकर्ता)

रसीद यहाँ से फाड़कर आवेदनकर्ता को दी जाये

(आवेदन पत्र प्राप्ति की रसीद कार्यालय उपयोग हेतु)

श्रीमती पत्नी श्री निवासी से आँगनवाड़ी केन्द्र के लिए मानदेय सेवा पद हेतु आवेदन पत्र मय निम्नलिखित संलग्नों सहित प्राप्त किया गया।

1. अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका/प्रमाण-पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
2. सैकेण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण-पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
3. स्थानीय निवासी होने का प्रमाण-पत्र- मतदाता पहचान-पत्र आधार कार्ड राशन कार्ड संलग्नक पृष्ठ संख्या
4. विवाह पंजियन प्रमाण- पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
5. अनूसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
6. आदिम व घुमन्तु जाति/आदिम व घुमन्तु जनजाति का प्रमाण-पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
7. दिव्यांग जन (गति आधारित) का प्रमाण-पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
8. जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग/एएनएम का प्रमाण-पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
9. RSCIT प्रमाण-पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
10. कार्यानुभव प्रमाण-पत्र(यदि लागू हो) संलग्नक पृष्ठ संख्या
11. विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण-पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
12. अन्य संलग्नक पृष्ठ संख्या

हस्ताक्षर (आवेदन जमा करने वाले के)

दिनांक

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

(मय सील व हस्ताक्षर संबधित बाल विकास परियोजना अधिकारी)

परिशिष्ट 'स'

बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आँगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनि आँगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/सहायिका पद के लिए अभिशंषा भेजने का प्रपत्र

दिनांक

जिले का नाम:-.....परियोजना/ग्राम पंचायत का नाम:-.....

ग्राम पंचायत/शहरी निकाय का नाम:-

ग्राम सभा/शहरी चयन समिति/सहायक निदेशक/जिला उप निदेशक समिति द्वारा मूल्यांकन प्रपत्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली आवेदक के नाम की अभिशंषा मानदेय सेवा पद के लिए निम्नानुसार की जाती है।

क्र. सं.	चयनित आवेदक का नाम	ग्राम पंचायत/वार्ड संख्या	आँगनबाड़ी केन्द्र/ग्राम पंचायत	जन्म दिनांक	शैक्षणिक योग्यता	वर्ग	पद	प्राप्तांक	वरीयता संख्या	प्रस्ताव संख्या/दिनांक

हस्ताक्षर
(अध्यक्ष)

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी

क्रमांक / संस्थापन / 201..... /

दिनांक

चयन- आदेश

चयन कमेटी द्वारा योग्यता के आधार पर चयन कर मूल दस्तावेज मिलान के उपरान्त निम्न को नियुक्ति हेतु चिन्हित किया जाता है। प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षण में A या B ग्रेड प्राप्त करने पर ही मानदेय सेवा में नियुक्ति प्रदान की जायेगी। प्रशिक्षण में भाग न लेने व C या D ग्रेड प्राप्त करने पर मानदेय सेवा कार्य-आदेश प्रदान नहीं किये जायेगे।

क्र. सं.	चयनित का नाम	ग्राम पंचायत / वार्ड संख्या	आंगनवाडी केन्द्र / ग्राम पंचायत	जन्म दिनांक	शैक्षणिक योग्यता	वर्ग	वरीयता संख्या	पद

बाल विकास परियोजना अधिकारी

क्रमांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ / पालनार्थ :-

1. उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं / महिला अधिकारिता
2. श्रीमती..... महिला पर्यवेक्षक / सुपरवाइजर म.अ., सेक्टर / ब्लॉक.....
3. सम्बन्धित ग्राम पंचायत.....
4. व्यक्तिगत पत्रावली।
5. सम्बन्धित प्रार्थी
6. रक्षित पत्रावली।

बाल विकास परियोजना अधिकारी

कार्यालय उप निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी

जिला

क्रमांक / संस्थापन / 201...../

दिनांक

कार्य-आदेश / नियुक्ति

बाल विकास परियोजना के अधीन आंगनवाडी केन्द्र पर मानदेयकर्मी के रूप में चयन के संबंध में चयन समिति की अभिशंषा व प्रशिक्षण में ग्रेड-A/B प्राप्त किये जाने पर मानदेय सेवा में निर्धारित मानदेय के आधार पर निम्नानुसार नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	मानदेयकर्मी का नाम मय पति का नाम	पद	वरीयता संख्या	योग्यता	वर्ग	जन्म तिथि	जन्म तिथि का आधार (10वीं/12वीं बोर्ड का प्रमाण पत्र/अन्य)	निर्धारित मानदेय	ग्राम पंचायत/आंगनवाडी केन्द्र का नाम

उपरोक्त महिलाओं को निम्न सेवा शर्तों के अध्याधीन उनके सम्मुख अंकित आंगनवाडी केन्द्र पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. आंगनवाडी कार्यकर्ता/मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ता/ शिशु पालनागृह कार्यकर्ता/ सहायिका के 61 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मानदेय सेवाएँ आवश्यक रूप से समाप्त कर दी जायेंगी।
2. प्रतिमाह भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
3. आंगनवाडी कार्यकर्ता/मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ता/शिशु पालनागृह कार्यकर्ता सहायिका राज्य कर्मचारी नहीं होकर मानदेय सेवाकर्मी हैं। इनके द्वारा आंगनवाडी केन्द्रों पर दी जा रही सेवाओं के लिए इन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है। यह पूर्णतः अस्थायी है एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाली मानदेयकर्मी है। इन पर किसी भी प्रकार के राज्य सेवा नियम लागू नहीं होंगे।
4. विभाग द्वारा निर्धारित किये गये कर्तव्यों एवं कार्य दायित्वों की पालना अनिवार्य रूप से की जायेगी।

5. आँगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्ता को आँगनबाड़ी केन्द्र की गतिविधियों का प्रतिमाह का लेखा-जोखा निर्धारित प्रपत्रों में सेक्टर पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करना होगा। अन्य सामयिक सूचनाएँ भी यथा आवश्यकता प्रस्तुत करनी होंगी।
6. विभाग द्वारा विभागीय गतिविधियों का समय-समय पर दिया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जब भी प्रशिक्षण में नामांकित किया जायेगा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करना होगा।
7. प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य दस्तावेज गलत व फर्जी पाये गये तो विभाग आपकी मानदेय सेवाएँ समाप्त कर आपको मानदेय सेवा से पृथक किया सकता है, तथा आपके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर सकता है।
8. विभाग द्वारा जारी आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशु पालनागृह कार्यकर्ता एवं सहायिका का मानदेय सेवा पर चयन करने, हटाने एवं अवकाश आदि अन्य विविध मामलों की प्रक्रिया संबंधी नवीनतम परिपत्र में पृथकीकरण के प्रावधानों के अन्तर्गत आपको मानदेय सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
9. चयनित महिलाओं को आदेश जारी करने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर कार्य ग्रहण कर इसकी सूचना संबंधित पर्यवेक्षक/अद्योहस्ताक्षरकर्ता को दी जानी होगी।
10. मानदेय सेवा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले दिशा-निर्देशों एवं नीति निर्णय के अध्याधीन होगी।

उप निदेशक/
बाल विकास परियोजना अधिकारी

क्रमांक :

दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ :-

1. खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति
2. श्रीमती..... महिला पर्यवेक्षक/सेक्टर
3. सम्बन्धित ग्राम पंचायत.....
4. लेखाशाखा/संस्थापन शाखा,.....
5. सम्बन्धित श्रीमती
6. व्यक्तिगत पत्रावली।
7. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक/
बाल विकास परियोजना अधिकारी

(विज्ञप्ति प्रारूप)

(समाचार पत्रों में जारी की जाने वाली विज्ञप्ति का संक्षिप्त प्रारूप)

कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग(जिले का नाम)

क्रमांक

दिनांक

विज्ञप्ति संख्या

जिले की निम्नलिखित परियोजनाओं/ग्राम पंचायत के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों/वार्डों में आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता के स्वेच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.सं	उप निदेशक/ परियोजना कार्यालय का नाम एवं ई-मेल आई.डी. फोन/मो. न.	रिक्त मानदेय पदों के नाम/संख्या			
		कार्यकर्ता	मिनी कार्यकर्ता	शिशु पालनागृह कार्यकर्ता	सहायिका
1.					

- आवेदन फॉर्म ऑन-लाईन विभागीय वेब साइट पर दिये गये लिंक के माध्यम से निर्धारित दिनांक-..... तक स्वीकार्य होंगे।
- ऑन-लाईन भरे गये आवेदन पत्र की हार्ड कापी मय संलग्न दस्तावेजों के सम्बन्धित उप निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः/रजि. डाक द्वारा सम्बन्धित परियोजना कार्यालय में निर्धारित दिनांक साय: 5.00 बजे तक जमा कराये जा सकेंगे।
- विज्ञप्ति के संबंध में परियोजनावार/आँगनवाड़ी केन्द्रवार/ग्राम पंचायतवार/वार्डवार रिक्त पदों तथा पात्रता आदि संबंधी विस्तृत जानकारी विभागीय वेब-साइट <http://www.wcd.rajasthan.gov.in> से प्राप्त की जा सकती है।

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग

.....